



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

Email – development@prsu.ac.in, development.prsu@gmail.com

क्रमांक 345/विकास/2022

रायपुर, दिनांक 11/06/2022

–: अधिसूचना :-

छ.ग. शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर के अधिसूचना क्रमांक एफ 20-70/2004/11/(6) नवा रायपुर, दिनांक 29/दिसंबर/2020 के द्वारा छ.ग. भंडार कय नियम 2002 (यथा संशोधित 2022) में संशोधन किया गया है।


(1) उक्त भंडार कय नियम को कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 03/06/2022 के पूरक विषय सूची क्रं. 11 में हुए अनुमोदन अनुसार विश्वविद्यालय विनियम 108 में शामिल किया गया है। (संलग्न छ. ग. भंडार कय नियम 2002 (यथा संशोधित 2022))

(2) भंडार कय नियम में उपरोक्त हुए संशोधन के संदर्भ में विश्वविद्यालय के द्वारा विनियम 108 कय नियम प्रचलन में है। उक्त विनियम में विभागीय कय समिति/केन्द्रीय कय समिति के अनुशंसा पश्चात सामग्री कय किये जाने का उल्लेख है, जिसके अनुसार विभागीय कय समिति/केन्द्रीय कय समिति में निम्नलिखित राशि के अंतर्गत सामग्री कय किये जाने हेतु प्रावधान में संशोधन किया जाता है :-

क्र.	पूर्व में सामग्री कय हेतु विभागीय कय समिति/केन्द्रीय कय समिति में अनुशंसा किये जाने हेतु राशि	वर्तमान में लागू भंडार कय नियम के अनुसार विभागीय कय समिति/केन्द्रीय कय समिति में अनुशंसा किये जाने हेतु संशोधित राशि
01	एकल निविदा रु.10000=00 (दस हजार) मात्र तक	एकल निविदा रु.50,000=00 (पचास हजार) मात्र तक
02	विभागीय कय समिति :- रु.10,001=00 (दस हजार एक) से रु.20,000=00 (बीस हजार मात्र) तक	विभागीय कय समिति :- रु.50,001=00 (पचास हजार एक) से रु.1,00,000=00 (एक लाख) मात्र तक
03	केन्द्रीय कय समिति :- रु. 20,001 (बीस हजार) से अधिक की राशि	केन्द्रीय कय समिति :- रु.1,00,001=00 (एक लाख एक) से अधिक की राशि

अतः उपरोक्त हुए संशोधन के अनुसार भविष्य में विश्वविद्यालय के समस्त कय प्रक्रियाओं में उक्त नियमों का पालन किया जाना सुनिश्चित करें।


आदेशानुसार


कुलसचिव

पृ.क्र. 346/विकास/2022
प्रतिलिपि-

रायपुर, दिनांक 11/06/2022

1. समस्त विभागीय अधिकारी/विभागाध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला पं.र.शु.वि.वि. रायपुर को सूचनार्थ।
2. वार्डन, समस्त छात्रावास/ग्रंथपाल, पं. सुंदरलाल शर्मा ग्रंथागार को सूचनार्थ।
3. वित्त नियंत्रक पं.र.शु.वि.वि. रायपुर को सूचनार्थ।
4. कुलपति जी के निज सहायक /कुलसचिव के निज सहायक, पं.र.शु.वि.वि. रायपुर को सूचनार्थ।


सहायक कुलसचिव (विकास)